# प्रपत्र VI

## बिहार सरकार

## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

## (भू–अर्जन निदेशालय)

या

## समाहर्ता/अपर समाहर्ता–सह–समुचित सरकार

## प्रारंभिक अधिसूचना

**(अधिनियम–30/2013 की धारा– 11 (1) के अधीन)**

अधिसूचना संख्या 06 भू० दिनांक 16.04.2018

चूंकि बिहार सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम –**खैरा आशा** थाना– **बैकुण्ठपुर** थाना सं0– **320** अचंल– **बैकुण्ठपुर** जिला–**गोपालगंज** में कुल 1.48 एकड़ यानि 0.592 हे0 भूमि सावर्जनिक प्रयोजन, यथा, परियोजना **गंडक नदी पर बंगराघाट पर उच्चस्तरीय आर0सी0सी पुल एवं पहुँच पथ के निमाण के कार्य** हेतु अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस0आई0ए0 ईकाई द्वारा सामाजिक प्रभाव मल्याकंन अध्ययन कराया गया और एक प्रतिवदेन सापैं गया। सामाजिक प्रभाव मल्याकंन प्रतिवेदन का सार–संक्षपे यथा–निम्न हैः – **समाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन का निषकर्ष है कि पथ परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण "लोकहित" की पूर्ति करता है और अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित जमीन परियोजना के जरूरतो के लिहाज से नितांत न्यूनतम है।** भू–अर्जन के कारण लगभग 00 **(शून्य)** परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है। इस बाध्यकारी विस्थापन का कारण नीचे दिया गया है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम– **खैरा आशा** थाना **बैकुण्ठपुर** थाना नं0 320 अंचल – **बैकुण्ठपुर** जिला– **गोपालगंज** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 1.48 एकड़ यानि 0.592 हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।

| क्रम सं0 | खाता सं0 | सर्वे भूखंड संख्या | स्वामित्व का प्रकार | भूमि का प्रकार | अर्जन के अधीन क्षेत्र (डी0 में) | हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता | सीमा (भू–खण्ड सं0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01 | 93 | 25 | खतियानी | भीठ | 08 | नरायण राय पिता– चिरकुट राय निवासी– खैरा आशा थाना– बैकुण्ठपुर, जिला– गोपालगंज। | ऊ0– रामशणन राय<br>द0– रामशणन राय<br>पु0– छवर<br>प0–सिवान प्यारेपुर |
| 02 | 65 | 27 | केवाला | भीठ | 18.5 | फुल महमद पिता– रामजान मियॉ निवासी– खैरा आशा थाना– बैकुण्ठपुर, जिला– गोपालगंज। | ऊ0–शरण राय<br>द0–बुधु धुनीया<br>पु0–छवर<br>प0–सिवान प्यारेपुर |
| 03 | 75 | 26 | खतियानी | भीठ | 7.5 | पीर महगद पिता– रामजान मियॉ निवासी– खैरा आशा थाना– बैकुण्ठपुर, जिला– गोपालगंज। | ऊ0–चिरकुट राय<br>द0–महादेव राय<br>पु0–छवर<br>प0–सिवान प्यारेपुर |
| 04 | 41 | 28 | खतियानी | भीठ | 16 | रियाजूदीन वगै0 पिता– ओलाईत मियॉ निवासी– खैरा आशा थाना– बैकुण्ठपुर, जिला– गोपालगंज। | ऊ0–महादेव लाल<br>द0–ब्रम्हदेव लाल<br>पु0–छवर<br>प0–सिवान प्यारेपुर |

| खाता सं0 | सर्वे भूखंड संख्या | स्वामित्व का प्रकार | भूमि का प्रकार | अर्जन के अधीन क्षेत्र (डी0 में) | हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता | सीमा (भू–खण्ड सं0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 05 | 44 | 29 | केवाला | भीठ | 30 | पीर महमद पिता– रामजान मियॉ निवासी– खैरा आशा थाना– बैकुण्ठपुर, जिला– गोपालगंज। | ऊ0– फरदी मियॉ<br>द0–किशुन लाल<br>पु0–छवर<br>प0–सिवान प्यारेपुर |
| 06 | 08 | 30 | केवाला | भीठ | 36 | बालमिकी बिमल वो राजपति देवी पति– ललन प्रसाद निवासी– खैरा आशा थाना– बैकुण्ठपुर, जिला– गोपालगंज। | ऊ0–ब्रम्हदेव लाल<br>द0–नीज<br>पु0–छवर<br>प0–परती कदीम |
| 07 | 113 | 31 | गैरमजरूआ मालिक | भीठ | 11 | अनवर हुसैन वगै0 पिता– शैकत अली निवासी– खैरा आशा थाना– बैकुण्ठपुर, जिला– गोपालगंज। | ऊ0–परती<br>द0–परती<br>पु0–परती<br>प0–परती |
| 08 | 78 | 32 | केवाला | भीठ | 06 | राजपति देवी पति– ललन प्रसाद निवासी– खैरा आशा थाना– बैकुण्ठपुर, जिला– गोपालगंज। | ऊ0–किशुन लाल<br>द0–सिवान चकिया<br>पु0– छवर<br>प0– परती कदीम |
| 09 | 21 | 36 | केवाला | भीठ | 02 | मिटन सिंह पिता– सकलदेव सिंह निवासी– खैरा आशा थाना– बैकुण्ठपुर, जिला– गोपालगंज। | ऊ0–सड़क<br>द0–हाफिज मियॉ<br>पु0– मिटन सिंह<br>प0– सड़क |
| 10 | 09 | 34 | खतियानी | भीठ | 3.25 | हाफिज मियॉ पिता– चुल्हाई मियॉ निवासी– खैरा आशा थाना– बैकुण्ठपुर, जिला– गोपालगंज। | ऊ0–कुंबान मियॉ<br>द0–ब्रम्हदेव लाल<br>पु0– ब्रम्हदेव लाल<br>प0– छवर |
| 11 | 09 | 33 | केवाला | भीठ | 4.5 | गुड्डु सिंह पिता– महेश्वर सिंह निवासी– खैरा आशा थाना– बैकुण्ठपुर, जिला– गोपालगंज। | ऊ0–गूली अहिर<br>द0–कुंबान मियॉ<br>पु0– ब्रम्हदेव लाल<br>प0– छवर |
| 12 | 44 | 35 | खतियानी | भीठ | 05 | ब्रम्हदेव लाल पिता– छकौड़ी लाल निवासी– खैरा आशा थाना– बैकुण्ठपुर, जिला– गोपालगंज। | ऊ0–गूली अहिर<br>द0–सिवान चकिया<br>पु0– फरीदन मियॉ<br>प0– छवर |
| 13 | 75 | 40 | केवाला | भीठ | 0.25 | नरायण राय पिता– चिरकुट राय निवासी– खैरा आशा थाना– बैकुण्ठपुर, जिला– गोपालगंज। | ऊ0–किशुन लाल<br>द0–गूली अहिर<br>पु0– चिरकुट राय<br>प0– सड़क |

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा/11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती हैं।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी गोपालगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। बिहार सरकार/समाहर्त्ता–सह–समूचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समूचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, व भूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी गोपालगंज और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती हैं।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी गोपालगंज के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

2.1.9/17

समाहर्त्ता,
गोपालगंज।